रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2002/माघ 26, 1923

No. 87] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2002/MAGHA 26, 1923

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2002

सा.का.नि. 104(अ).— केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि आदेश में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की उपलब्धता उचित कीमत पर सम्पूर्ण देश में सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(क) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 है ।

(ख) इसका विस्तार भारत के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों पर है ।

(ग) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के पश्चात् प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं

(i) "व्यौहारी" से ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस आदेश के खण्ड 3 में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु का विक्रय करने के लिए उसके क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय या भंडारण के कारबार में सीधे या अन्यथा लगा हो, चाहे वह थोक विक्रेता हो या फुटकर विक्रेता हो और चाहे वह किसी अन्य कारबार में सहयोजित हो या नहीं और उसके प्रतिनिधि या अभिकर्ता अभिप्रेत है ।

(ii) "राज्य सरकार" के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन भी है ।

3. इस आदेश के प्रवृत्त होने के साथ ही कोई व्यौहारी स्वतंत्र रूप से किसी भी मात्रा में गेहूं, धान/चावल, मोटा अनाज, चीनी, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल का क्रय, भंडार, विक्रय, परिवहन, वितरण, निपटान, अर्जन, उपयोग या उपभोग कर सकेगा और उसके लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के अंतर्गत किसी अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी ।

4. इस आदेश के उपबंध इस आदेश के प्रारंभ होने से पूर्व किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश में किसी बात के विरुद्ध होते हुए भी प्रभावी होंगे, उस बात के सिवाय जिसे उसके अधीन ऐसे प्रारंभ के पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है ।

5. खंड 3 में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु के भंडारण, परिवहन, वितरण, निपटान, अर्जन, उपयोग या उपभोग की अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या अन्यथा द्वारा विनियमित करने के लिए भारत सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) द्वारा जारी की गई सा0का0नि0 452(अ), तारीख 25 अक्तूबर, 1972, और भारत सरकार के तत्कालीन कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) द्वारा जारी सा0का0नि0 800, तारीख 9 जून, 1978 में प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति अपेक्षित होगी ।

6. इस आदेश की कोई बात केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 और उसके अनुसरण में राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आदेशों के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

[फा. सं. 10/1/2002-ईसीआरएण्डई]

एस. नौटियाल, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 15th February, 2002

G.S.R. 104(E).— Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient to do so for securing the availability of commodities specified in the Order at fair prices throughout the country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order : -

1. Short Title, Extent and Commencement

(a) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements.

Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002.

(b) It extends to all the States and Union Territories of India.

(c) It shall come into force after thirty days from the date of publication in the Official Gazette.

2. Definitions

(i) "Dealer" means any person engaged in the business of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale of any of the commodities specified in clause 3 of this Order, directly or otherwise, whether as a wholesaler or retailer and whether or not in conjunction with any other business and his representative or agent.

(ii) "State Government" includes Administration of a Union territory.

3. With the coming into effect of this Order any dealer may freely buy, stock, sell, transport, distribute, dispose, acquire, use or consume any quantity of wheat, paddy/rice, coarsegrains, sugar, edible oilseeds and edible oils and shall not require a permit or license therefor under any order issued under the Essential Commodities Act, 1955.

4. The provisions of this Order shall take effect notwithstanding anything to the contrary in any Order made by a State Government before the commencement of this Order except as respects anything done, or omitted to be done, thereunder before such commencement.

5. Issue of any order by the State Governments under powers delegated in GSR 452(E) dated the 25th October, 1972 issued by the Government of India in the then Ministry of Agriculture (Department of Food) and GSR 800 dated the 9th June, 1978 issued by the Government of India in the then Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) for regulating by licenses, permit or otherwise, the storage, transport, distribution, disposal, acquisition, use or consumption of any of the commodities specified in clause 3 shall require the prior concurrence of the Central Government.

6. Nothing contained in this Order shall affect the operation of the Public Distribution System (Control) Order, 2001 issued by the Central Government and orders of the State Governments issued in pursuance thereof.

[F. No. 10/1/2002-ECR&E]

S. NAUTIYAL, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.